न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार-आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 88/2018

प्रार्थीगण
मृतक उकाराम पुत्र लालारामजी
माली के विधिक उत्तराधिकारी
एवं वारिसदार
1– गेरीदेवी धर्मपत्नि स्व. उकारामजी
2– हिरालाल पुत्र स्व. उकारामजी
3– कसनाराम पुत्र स्व. उकारामजी
4– दिनेशकुमार पुत्र स्व. श्री उकारामजी
5– आशा पुत्री स्व. श्री उकारामजी
सभी आयु व्यस्क जाति माली पेशा खेती
निवासयान सिलदर तहसील सिरोही
जिला सिरोही राज.

बनाम

अप्रार्थीगण
1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही तहसील सिरोही जि.सिरोही
2– चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत
आयु व्यस्क जाति कुम्हार
निवासी सिलदर तह.सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री प्रवीणकुमार छीपा
2– अप्रार्थी संख्या एक स्टेट तहसीलदार-सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार
(नायब तहसीलदार-सिरोही)

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने ।

निर्णय दिनांक 18-3– 2019

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही तथा अप्रार्थी संख्या 2 का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 9–8–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या एक के पति,प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता स्वर्गीय उका पुत्र लाला के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर भू. अ.नि. तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2050–2053 के अनुसार निम्न प्रकार है :–

खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नया 7	344	4 बीघा 15 विस्वा	ब.I
पुराना 9	607/1	1 बीघा 11 विस्वा	ब.I

कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 06 विस्वा है।

प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी ने उनके जीवनकाल मे उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे से खसरा नंबर 607/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा कृषि भूमि को उपपंजियक कार्यालय सिरोही मे पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र संख्या 3070/06 दिनांक 11–8–2006 के जरिये अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत निवासी सिलदर को बेचान किया था उक्त बेचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 370/06 दिनांक 11–8–2006 के अनुसार खसरा नंबर 607/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा कृषि भूमि का बेचान होने से बाद जांच नामान्तकरण संख्या 1134 दिनांक 22–9–2006 को स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या दो चुन्नीलाल के नाम बतौर खातेदारी इन्द्राज किया गया तथा शेष खसरा नंबर 344 रकबा 4 बीधा 15 विस्वा किस्म ब.I प्रार्थीसंख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी माली के नाम से बदस्तूर खातेदार रहा है। जो पंजीकृत विक्रय विलेख

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page

लेख पत्र संख्या 370/06 दिनांक 11-8-2006 नामान्तकरण संख्या 1134 दिनांक 22-9-2006 एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत 2050 से 2053 से प्रथम दृष्टियॉ साबित तथ्य है। राजस्व ग्राम सिलदर मे स्थित उक्त खसरा नंबर 344 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा किस्म ब.I की कृषि भूमि को प्रार्थीगणसंख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी ने उनके जीवनकाल मे कभी भी अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल को विक्रय नही की है। संलग्न राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नंबर 344 का नया खसरा संख्या 438 तथा पुराने खसरा संख्या 607/1 का नया खसरा नंबर 722 बना है। प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी की उपरोक्त वर्णित शेष खातेदारी कब्जे काश्त की वर्तमान खसरा संख्या 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर की कृषि भूमि को बिना बेचान किये एवं बिना किसी आदेश या नामानतकरण के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2064 से 2067 एवं जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मे राजस्व कर्मचारियों की भूमि एवं लापरवाही से उक्त खसरा नंबर 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थी संख्या दो ता पांच के पिता उकाराम पुत्र लालारामजी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या दो चुन्नीलाल का नाम सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज किया गया है जिसे राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो पांच के पिता उकाराम पुत्र लालारामजी का देहान्त दिनांक 8-7-2017 को हो चुका है। प्रार्थीगण स्वर्गीय उकाराम पुत्र लालारामजी के विधिक उत्तराधिकारी एवं प्रथम श्रेणी वारिसदार है। प्रार्थीगण के अलावा स्वर्गीय उकाराम पुत्र लालारामजी के अन्य कोई विधिक वारिसदार नही है। उक्त खसरा नंबर 438 की कृषि भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। जिस पर अप्रार्थी सख्या दो चुन्नीलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त खसरा नंबर 438 की कृषि भमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से सर्वथा गलत अप्रार्थीगण संख्या दो के नाम से इन्द्राज करने से प्रार्थीगण को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील सिरोही मे स्थित खसरा नंबर 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल पुत्र कानाजी के नाम को हटाये जाने एवं उसके स्थान पर मृतक उकाराम पुत्र लालारामजी के बतौर वारिसान प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार इन्द्राज किये जाने के आदेश जारी करना फरमावें एवं प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के साथ फार्म नंबर मे वर्णित राजस्व ग्राम सिलदर के पुराने खसरा नंबर 344 व 607/1 के जमाबंदी महकमा बंदोवस्त संवत 2000 की प्रमाणित प्रति/राजस्व ग्राम सिलदर के पुराने खसरा संख्या 344 व 607/1 के जमाबंदी संवत 2050-2053 की प्रमाणित प्रति/पंजीकृत विक्रय विलेख लेख्या संख्या 370/11-8-2006 की प्रमाणित प्रति/ग्राम सिलदर के पुराने खसरा संख्या 344 व 607/1 के खसरा मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति/राजस्व ग्राम सिलदर मे स्थित कृषि भूम खसरा संख्या 438 व 722 के जमाबंदी संवत 2064-2067 की प्रमाणित प्रति /नामान्तकरण संख्या 1134 दिनांक 22-9-2006 की प्रमाणित प्रति/राजस्व ग्राम सिलदर मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 438 व 722 के जमाबंदी संवत 2061से 2080 की प्रमाणित प्रति/राजस्व ग्राम सिलदर के वर्तमान खसरा नंबर 438 व 722 के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति/उकाराम पुत्र लालारामजी माली के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति व प्रार्थीगण के राशनकार्ड की प्रति का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 9-8-2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या एक स्टेट तहसीलदार /सिरोही तथा अप्रार्थी संख्या दो को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20-8-2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया

विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 20-8-2018 को दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या एक स्टेट पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page No - 3

न्यायहित मे समय दिया गया । अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस तामिल होने के बावजद दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर नही हुये है जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्ी संख्या 2 को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 स्वंय या इनके वकील/प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये ।

दिनांक 19–12–2018 को न्यायालय मे दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या एक स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 781 दिनांक 23–10–2018 को जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि खसरा नंबर नये 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर व 722 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि कमशः चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत व चन्दादेवी पत्नी लीलाराम प्रजापत निवासी सिलदर के नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।जिसके पुराने खसरा नंबर 344 व 607/1 दर्ज थे । प्रार्थीगण द्वारा बताया कि उका पुत्र लालाजी द्वारा जिवितकाल मे विकय विलेख संख्या 3070/06 दिनांक 11–8–2006 जरिये अप्रार्थीगण संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानारामजी प्रजापत को बेचान किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है। एवं तत्समय की जमाबंदी नामान्तकरण अमल दरामद की नकल संवत 2050 से 2053 संलग्न है एवं जमाबंदी संवत 2061 से 2080 मिसल की नकल है जिसमे उका पुत्र लालाजी माली के नाम खसरा नंबर 438 व 722 दर्ज है एवं सेटलमेण्ट प्श्चात जमाबंदी संवत 2064 से 2067 मे दोनो खसरे 438 व 722 चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत के नाम दर्ज है। समस्त नकल की प्रमाणित प्रतिलिलियॉ संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा बताया है कि खसरा नंबर पुराना 344 नया 438 का प्रार्थीगण के पिताजी द्वारा अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत निवासी सिलदर को बेचान नही की गई है। उक्त कथन को वादी स्वंय स्वंय सिद्व करना बताया । तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे आगे यह कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी के पिताजी उकाराम पुत्र लालाजी द्वारा खसरा नंबर 438 का बेचान नही किया हुआ हैअन्य वादी स्वंय सिद्व करें ।प्रार्थीगण के पिताजी का देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाणि पत्र की प्रति संलग्न है। वारिसदार संबंधी प्रार्थी स्वंय सिद्व करें एवं खसरा नंबर 438 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त है मौके पर तिल बोये हुये है।

इस न्यायालय मे दिनांक 21–1–2019 को विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगर्ण व अप्रार्थी संख्या एक स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । दौराने बहस पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही) व अति.ओफिस कानूनगो उप.तह.कालन्द्री ने हाजिर होकर नामान्तकरण संख्या 1134 का मूल से छाया प्रति से मिलान किया ।सही पाया गया तथा अनुतोष स्वीकार योग्य होना ।

इस न्यायालय मे दिनांक 25–2–2019 को दौराने सुनवाई विचारण प्रकरण मे इस प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,सिरोही) द्वारा न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या एक के पति प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता स्वर्गीय उका पुत्र लाला के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर भू.अ.नि. तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2050–2053 के अनुसार निम्न प्रकार है :–

खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नया 7	344	4 बीघा 15 विस्वा	ब.ा
पुराना 9	607/1	1 बीघा 11 विस्वा	ब.ा

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page no

प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी ने उनके जीवनकाल मे उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे से खसरा नंबर 607/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा कृषि भूमि को उपपंजियक कार्यालय सिरोही मे पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र संख्या 3070/06 दिनांक 11–8–2006 के जरिये अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत निवासी सिलदर को बेचान किया था उक्त बेचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 370/06 दिनांक 11–8–2006 के अनुसार खसरा नंबर 607/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा कृषि भूमि का बेचान होने से बाद जांच नामान्तकरण संख्या 1134 दिलनांक 22–9–2006 को स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या दो चुन्नीलाल के नाम बतौर खातेदारी इन्द्राज किया गया तथा शेष खसरा नंबर 344 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा किस्म ब.ा प्रार्थीसंख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी माली के नाम से बदस्तूर खातेदार रहा है। जो पंजीकृत विक्रय विलेख लेख पत्र संख्या 370/06 दिनांक 11–8–2006 नामान्तकरण संख्या 1134 दिनांक 22–9–2006 एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत 2050 से 2053 से प्रथम दृष्टियॉ साबित तथ्य है। राजस्व ग्राम सिलदर मे स्थित उक्त खसरा नंबर 344 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा किस्म ब.ा की कृषि भूमि को प्रार्थीगणसंख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी ने उनके जीवनकाल मे कभी भी अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल को विक्रय नही की है। संलग्न राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नंबर 344 का नया खसरा संख्या 438 तथा पुराने खसरा संख्या 607/1 का नया खसरा नंबर 722 बना है। प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो ता पांच के पिता उका पुत्र लालाजी की उपरोक्त वर्णित शेष खातेदारी कब्जे काश्त की वर्तमान खसरा संख्या 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर की कृषि भूमि को बिना बेचान किये एवं बिना किसी आदेश या नामानतकरण के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2064 से 2067 एवं जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मे राजस्व कर्मचारियों की भूमि एवं लापरवाही से उक्त खसरा नंबर 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थी संख्या दो ता पांच के पिता उकाराम पुत्र लालारामजी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या दो चुन्नीलाल का नाम सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज किया गया है जिसे राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण संख्या एक के पति एवं प्रार्थीगण संख्या दो पांच के पिता उकाराम पुत्र लालारामजी का देहान्त दिनांक 8–7–2017 को हो चुका है। प्रार्थीगण स्वर्गीय उकाराम पुत्र लालारामजी के विधिक उत्तराधिकारी एवं प्रथम श्रेणी वारिसदार है। प्रार्थीगण के अलावा स्वर्गीय उकाराम पुत्र लालारामजी के अन्य कोई विधिक वारिसदार नही है। उक्त खसरा नंबर 438 की कृषि भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। जिस पर अप्रार्थी सख्या दो चुन्नीलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त खसरा नंबर 438 की कृषि भमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से सर्वथा गलत अप्रार्थीगण संख्या दो के नाम से इन्द्राज करने से प्रार्थीगण को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील सिरोही मे स्थित खसरा नंबर 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल पुत्र कानाजी के नाम को हटाये जाने एवं उसके स्थान पर मृतक उकाराम पुत्र लालारामजी के बतौर वारिसान प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार इन्द्राज किये जाने के आदेश जारी करना फरमावें एवं प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश फरमावें ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदाय्र सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही) ने अपनी बहस मे तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत कर जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नंबर नये 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर व 722 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि कमशः चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत व चन्दादेवी पत्नी लीलाराम प्रजापत निवासी सिलदर के नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।जिसके पुराने खसरा नंबर 344 व 607/1 दर्ज थे । प्रार्थीगण द्वारा बताया कि उका पुत्र लालाजी द्वारा जिवितकाल मे विक्रय विलेख संख्या 3070/06 दिनांक 11–8–2006 जरिये अप्रार्थीगण संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानारामजी प्रजापत को

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No — 5

बेचान किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है। एवं तत्समय की जमाबंदी नामान्तकरण अमल दरामद की नकल संवत 2050 से 2053 संलग्न है एवं जमाबंदी संवत 2061 से 2080 मिसल की नकल है जिसमे उका पुत्र लालाजी माली के नाम खसरा नंबर 438 व 722 दर्ज है एवं सेटलमेण्ट प्श्चात जमाबंदी संवत 2064 से 2067 मे दोनो खसरे 438 व 722 चुन्नीलाल पुत्र कानजी प्रजापत के नाम दर्ज है। समस्त नकल की प्रमाणित प्रतिलिलियॉ संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा बताया है कि खसरा नंबर पुराना 344 नया 438 का प्रार्थीगण के पिताजी द्वारा अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत निवासी सिलदर को बेचान नही की गई है। उक्त कथन को वादी स्वंय स्वंय सिद्व करना बताया । तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे आगे यह कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी के पिताजी उकाराम पुत्र लालाजी द्वारा खसरा नंबर 438 का बेचान नही किया हुआ हैअन्य वादी स्वंय सिद्व करें ।प्रार्थीगण के पिताजी का देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाणि पत्र की प्रति संलग्न है। वारिसदार संबंधी प्रार्थी स्वंय सिद्व करें एवं खसरा नंबर 438 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त है मौके पर तिल बोये हुये हे।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब व संलग्न उक्त वर्णित सभी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी नकले,विक्रय विलेख,मिलान क्षैत्रफल आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,सिरोही) की उक्त अंतिम बहस सुनकर उस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा तहसीलदार,सिरोही के उक्त जवाब के आधार पर खसरा नंबर नये 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर व 722 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि क्रमशः चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत व चन्दादेवी पत्नी लीलाराम प्रजापत निवासी सिलदर के नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।जिसके पुराने खसरा नंबर 344 व 607/1 दर्ज थे । प्रार्थीगण द्वारा बताया कि उका पुत्र लालाजी द्वारा जिवितकाल मे विक्रय विलेख संख्या 3070/06 दिनांक 11–8–2006 जरिये अप्रार्थीगण संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानारामजी प्रजापत को बेचान किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है। एवं तत्समय की जमाबंदी नामान्तकरण अमल दरामद की नकल संवत 2050 से 2053 संलग्न है एवं जमाबंदी संवत 2061 से 2080 मिसल की नकल है जिसमे उका पुत्र लालाजी माली के नाम खसरा नंबर 438 व 722 दर्ज है एवं सेटलमेण्ट प्श्चात जमाबंदी संवत 2064 से 2067 मे दोनो खसरे 438 व 722 चुन्नीलाल पुत्र कानजी प्रजापत के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा बताया है कि खसरा नंबर पुराना 344 नया 438 का प्रार्थीगण के पिताजी द्वारा अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी संख्या 2 चुन्नीलाल पुत्र कानाजी प्रजापत निवासी सिलदर को बेचान नही की गई है। तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे आगे यह कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी के पिताजी उकाराम पुत्र लालाजी द्वारा खसरा नंबर 438 का बेचान नही किया ।प्रार्थीगण के पिताजी का देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाणित पत्र की प्रति संलग्न है। खसरा नंबर 438 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त है मौके पर तिल बोये हुये है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण का यह विचारण प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जाहिर किया है।

अतः उपरोक्त सभी आधारो पर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटी की श्रेणी मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलीदार,सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील सिरोही मे स्थित खसरा नंबर 438 रकबा 0.7700 हेक्टेयर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी मे सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज अप्रार्थीगण संख्या दो चुन्नीलाल पुत्र कानाजी के नाम को हटाया जावे।

Continue Page No ——— 6

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

एवं उसके स्थान पर मृतक उकाराम पुत्र लालारामजी के बतौर वारिसान प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे प्रविष्टि दुरूस्त करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 18–3–2019 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ)
सिरोही